न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **218/2018** दायर दिनॉक **26.06.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रमेश चौधरी पुत्र छोगाराम, जाति–जाट, निवासी–थेबड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. पक्षकारान्।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 30.06.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद बेड़वा में खसरा नम्बर 269 रकबा 17.17 बीघा अवस्थित है, जो कि, सायरा पत्नी उस्मान के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थना वादी है कि, शरहद बेड़वा में खसरा नम्बर 269 रकबा 17.17 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम सायरा पत्नी उस्मान को हटाया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना में पत्रावली पेश हुई। वादी जरिये वकील उपस्थित। प्रतिवादी के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया। वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान् को सुना गया। वादी की इस्तदुआ है कि, शरहद बेड़वा में खसरा नम्बर 269 रकबा 17.17 बीघा भूमि को वादी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सायरा पत्नी उस्मान के नाम से

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 218 / 2018
दायर दिनाँक 26.06.2018, निर्णय दिनाँक 30.06.2018
रमेश चौधरी बनाम् तहसीलदार, वगैरा।

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है परन्तु उक्त भूमि को जरिये पंजीकृत दस्तावेजात् के वादी ने क्रय किया है व राजस्व रिकॉर्ड में उक्त सायरा का ही नाम चला आ रहा है, जिसे अब वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। उक्त पंजीकृत क्रय–विक्रय के समर्थन में वादी ने पंजीकृत विक्रय–पत्र की छायाप्रति पेश की। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी की इस्तदुआ पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वादी उक्त मुतनाजा को अपनी क्रयसुदा जायगा होने का दावा किया है, ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि वादी की क्रयसुदा भूमि होने के सम्बन्ध में वादी की उक्त भूमि के खरीदगी के दस्तावेजात् की नियमानुसार जाँच के बाद नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करना ही न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, दावा निम्न आदेशानुसार, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद बेड़वा में खसरा नम्बर 269 रकबा 17.17 बीघा के नामान्तरकरण बाबत्, तहसीलदार डीडवाना को निर्देशित किया जाता है कि, पंजीकृत विक्रय दस्तावेजात् की जॉच कर, नियमानुसार, नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (मुख्यालय)

निर्णय आज दिनाँक 30.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (मुख्यालय)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **218/2018** दायर दिनाँक **26.06.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रमेश चौधरी पुत्र छोगाराम, जाति–जाट, निवासी–थेबड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा–88, 53, R.T.Act.

दिनाँक **30.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित वादी** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद बेड़वा में खसरा नम्बर 269 रकबा 17.17 बीघा के नामान्तरकरण बाबत्, तहसीलदार डीडवाना को निर्देशित किया जाता है कि, पंजीकृत विक्रय दस्तावेजात् की जॉच कर, नियमानुसार, नामान्तरकरण दर्ज किया जावे।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **30.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	—		महनताना वकील		
सबूत	—		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			बाबत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

Scanned by CamScanner